न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

प्रकरण संख्या 67/22 दायरा दिनांक 02.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

बलराम पुत्र कमलू उम्र 42 वर्ष जाति सहरिया निवासी शाहावाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान –वादी

–: बनाम :–

गुड्डीबाई पुत्री प्रभू जाति सहरिया निवासी शुभघरा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक– 12.07.2024

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय

संक्षेप में वादी का वाद इस प्रकार हैं कि ग्राम शुभघरा तहसील शाहावाद के खाता संख्या नई 84 पुरानी 87 में आराजी खसरा नम्बर 241/1 रकबा 16.06 बीघा किस्म बा.च. स्थित है, जिसे दावे में आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी को वादी ने आज से दो वर्ष पूर्व खातेदार प्रभू पुत्र सूरी कौम सहरिया साकिन शुभघरा से विधिवत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये क्रय कर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है और तभी से वादी निरन्तर उक्त विवादित आराजी को वहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, इसमें किसी अन्य को दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी गुड्डीबाई विक्रेता खातेदार प्रभू की पुत्री है, जो जबरन ताकत के बल पर वादी से उक्त विवादित आराजी को छीनना चाहती है, इसी ध्येय से प्रतिवादी असत्य तथा मनगढन्त तथ्य बनाकर वादी के विरूद्व कभी थाने पर तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों के यहां झूठी शिकायती प्रार्थनापत्र पेश कर नाजायज परेशान करती है और वादी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप कर वादी को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देती है, जिसका प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 22.10.22 को प्रतिवादी वादी की उक्त विवादित आराजी पर आ गई और वादी के खेत में रखी हुई कृषि उपज धान के भरे हुये दो कट्टे जबरन उठाकर ले गई तथा वादी एवं वादी के हाली के साथ गाली–गलौच करते हुये धमकी दी कि यदि वादी ने उक्त विवादित आराजी पर से कब्जा नहीं छोडा तो वह वादी को छेडखानी के झूंठे मुकदमें में फंसवाकर जेल भिजवा देगी। प्रतिवादी के उक्त कृत्य व धमकी से वादी के हकूक मालिकाना विवादित आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस कारण वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है, इस हेतु यह नालिश पेश है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी जरिये वकील उपसिथत हुआ, जिन्हे जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:30 IST
Reason: SelfAttested

12/07/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

गये, परन्तु कोई जबाव पेश नहीं किया गया और अंततः वकील प्रतिवादी द्वारा नो इन्सट्रक्शन प्लीड करने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से स्वयं वादी बलराम के बयान कराये और नकल जमाबंदी ग्राम शुभघरा सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस ख.नं. 241/1 ग्राम शुभघरा प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 तथा रिपोर्ट प्रति प्रदर्श 4 पेश की। वादी वकील की एकपक्षीय वहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम शुभघरा सम्वत 2073–76 अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 241/1 रकबा 16.06 बीघा का वादी रिकार्डेड खातेदार हैं, विवादित आराजी नक्शा प्रदर्श 2 में तरमीम है और प्रदर्श 3 गिरदावरी से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होना साबित है। प्रतिवादी द्वारा कोई जबावदावा पेश नहीं किया गया है और ना ही वादी की साक्ष्य का कोई खण्डन किया गया है। इस प्रकार विवादित आराजी वादी के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादी को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के खाते की विवादित आराजी खसरा संख्या 241/1 रकबा 16.06 बीघा ग्राम शुभघरा तहसील शाहावाद कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। तदानुसार डिकी जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

12.07.2024

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:17:30 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner